हमारा बिहार

'आओ बिहार'

राज्य के निवासियों को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह दो एकड़ या उससे अधिक भूमि के स्वामी हैं, तथा अपनी जमीन उद्योग अथवा संस्थान हेतु बेचना चाहतें हैं तो वे अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ संबंधित जमीन के व्यौरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं। इसके लिए भूधारी को अपनी जमीन का विक्रय मूल्य बताना होगा। विक्रय मूल्य का निर्धारण भूधारी अपने स्वविवेक से करेंगे ताकि इस संबंध में उन्हें एक Undertaking देनी होगी कि निबंधन तिथि से लेकर एक निर्धारित अवधि (उदाहरणार्थ छः माह) तक के लिए यह विक्रय दर मान्य होगा।

राज्य में नई औद्योगिक इकाईंयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से तथा भूअर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एक नई योजना बनाई गई है जिसे 'आओ बिहार' का नाम दिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जमीन की मिल्कित/विवादमुक्त होने आदि की जाँच कर अंतिम रूप से सूचीबद्ध किया जायेगा। प्रथम चरण में इसकी सूचना बियाडा को भेजी जाएगी तथा बियाडा द्वारा इसे वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

सूचना अपलोड करने के पश्चात् राज्य सरकार विज्ञापनों के माध्यम से सभी संभावित निवेशकों को सूचित करेगी कि राज्य के विभिन्न जगहों में पंजीकृत एवं विवादमुक्त भूमि विक्रय हेतु उपलब्ध है। यदि वे निवेश करने के इच्छुक हों तो संबंधित भू-धारी से संपर्क कर सकते हैं। यदि वे पंजीकृत जमीनों पर निवेश करते हैं तो औद्योगिक नीति के आलोक में उन्हें स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत की निर्धारित छूट मिलेगी एवं नीति में जो अन्य लाभ है वह भी मिलेंगे।

इस प्रकार सरकार की भूमिका सम्पर्क सूत्र की होगी ताकि निवेशकों को जमीन क्रय करने में कठिनाई न हो साथ ही भू-धारी को अपनी इच्छा अनुसार विक्रय मूल्य भी मिले।

उक्त योजना में अपनी भागीदारी दर्ज कर राज्य के विकास में अपना योगदान दें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए श्री भुवनेश्वर ओझा, सचिव, बियाडा के मोबाईल सं०-9835480987 पर संपर्क किया जा सकता है।

BIADA

1st Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna-800 004
Phone : +91-612-2675991, 2675945, Fax : +91-612-2675889
Website : www.biadabihar.in/ E-mail : biada@rediffmail.com